न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

ए.बी.पी. 2939/2026

हाजीपुर/आर.पी.एफ. रेल थाना कांड संख्या–08/2026

अंतर्गत धारा 3 आर.पी.यू.पी. अधिनियम

धनंजय कुमार ठाकुर उर्फ धनंजय ठाकुर.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता–श्री श्यामकिशोर मिश्र

विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री ध्रुवदेव सिंह

22.07.2026 आवेदक धनंजय कुमार ठाकुर उर्फ धनंजय ठाकुर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन में उभयपक्षों को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक 26.06.2026 को रेलवे लाइन पर से जलेबियां लोहा चुराने के घटना को लेकर धनंजय ठाकुर के लोहार दुकान में तलाशी लेने कुल 40 जलेबियां लोहा मिला। धनंजय ठाकुर एक जलेबियां लोहा के बदले 05 रुपये देता था।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक रेलवे संपत्ति की क्षतिपूर्ति के रूप में अनुमानित रकम जमा करने को तैयार है। आवेदक उचित जमानतदार देने को तैयार हैं। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक के दुकान से रेलवे की चोरी हुई संपत्ति बरामद हुआ है। मामला अग्रिम जमानत योग्य नहीं है।

अभिलेख का अवलोकन किया। मामले के आवेदक की ओरसे आवेदन दिया गया है कि वह 199 रुपये न्यायालय में जमा करने को तैयार है। मामले में आवेदन के आलोक में यह ए.बी.पी. इस निर्देश के

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

ए.बी.पी. 2939/2026

हाजीपुर/आर.पी.एफ. रेल थाना कांड संख्या–08/2026

अंतर्गत धारा 3 आर.पी.यू.पी. अधिनियम

धनंजय कुमार ठाकुर उर्फ धनंजय ठाकुर.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

साथ निष्पादित किया जाता है कि आवेदक यदि 1900 रुपये न्यायालय में जमा करता है और आत्मसमर्पण करता है तो विचारण न्यायालय उसके नियमित जमानत आवेदन पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित आदेश पारित करेगा।

लेखापित

ANURAG KUMAR TRIPATHI

Digitally signed by ANURAG KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.07.22 12:20:42 +0530

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।